न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– दिनेश कुमार यादव
आई.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या 6/2012

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू जिला झुंझुनू (राज.)।

—— प्रार्थी

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र छोटुराम जाति स्वामी निवासी वार्ड नम्बर 24 झुंझुनू (फौत)
   1/1. दीपक कुमार पुत्र स्व. श्री बनवारीलाल जाति स्वामी निवासी वार्ड नम्बर 24 झुंझुनू।
   1/2. प्रेमलता पुत्री स्व. श्री बनवारीलाल जाति स्वामी निवासी वार्ड नम्बर 24 झुंझुनू।
   1/3. स्नेहलता पुत्री स्व. श्री बनवारीलाल जाति स्वामी निवासी वार्ड नम्बर 24 झुंझुनू।
   1/4. रेखा पुत्री स्व. श्री बनवारीलाल जाति स्वामी निवासी वार्ड नम्बर 24 झुंझुनू।
   1/5. प्रियंका पुत्री स्व. श्री बनवारीलाल जाति स्वामी निवासी वार्ड नम्बर 24 झुंझुनू।
2. मंजूर हुसैन पुत्र उस्मान जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 26 इलाही मस्जिद के पास झुंझुनू।
3. अनिता पत्नी कृष्ण मुरारी जाति स्वामी निवासी वार्ड नम्बर 26 इलाही मस्जिद के पास झुंझुनू।

—— अप्रार्थीगण

——

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
एवं धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

——

उपस्थितः–

1. श्री श्रवण कुमार सैनी – राजकीय अभिभाषक प्रार्थी की ओर से।
2. श्री जगदीश चन्द्र – एडवोकेट अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

आदेश

दिनांक 15.06.2018

1. उक्त विषयक रेफरेन्स तहसीलदार झुंझुनू ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कस्बा झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनूं की गत खसरा नम्बर 1355 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 2281/3980 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 2282 रकबा 0.01 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 2283 रकबा 3.07 हैक्टर बने है। सम्वत् 2012 की जमाबन्दी के अनुसार माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी विराजमान वाके देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी। उक्त आराजी पर पुजारी श्री छोटुदास चेला सीतारामदास सम्वत 2012 में दर्ज रिकार्ड थे। उक्त आराजी पर श्री प्रेमा वल्द किसना कौम ब्राहम्ण सम्वत् 2012 में काश्त 1 साल कृषक के रूप में दर्ज रिकार्ड थे। आराजी खसरा नम्बर 1355 के कृषक छोटुदास की मृत्यु पर सम्वत् 2041 – 44 में उसके वारिसान बनवारीलाल के नाम कृषक के रूप में दर्ज हो गई। उपरोक्त खातेदार में से श्री छोटुदास की मृत्यु पर वारिसान बनवारीलाल के नाम नामान्तरकरण संख्या 1282 से भूमि आई है। उक्त खातेदारों में से श्री बनवारी ने अपने हिस्से की आराजी श्री मंजूर हुसैन पुत्र उस्मान जाति व्यापारी हिस्सा 1.13 हैक्टर व अनिता पत्नी कृष्ण मुरारी हिस्सा 0.38 हैक्टर को बेचान करने पर उक्त केता के नाम सम्वत 2065 – 68 कह जमाबन्दी में नामान्तरकरण संख्या 1204, 1228 से दर्ज हो गई। विरासत एवं बेचान सर्वथा नाबालिग मन्दिर की भूमि का किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के विपरीत होने के कारण नल एण्ड वोईड है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश कर

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

निवेदन है कि हाल खातेदार का नाम हटाकर मन्दि मूर्ति के नाम दर्ज करने की आज्ञा प्रदान की जावें तथा हर्जा खर्चा दिलवाया जावें।

2. रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ने दिनांक 10.11.2009 को जरिये अधिवक्ता जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज फरमाये जानें का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 1 बनवारीलाल पुत्र छोटुराम का देहान्त हो जाने के कारण उनके विधिक वारिसान 1/1 लगायत 1/5 को पक्षकार बनाया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये तथा दिनांक 04.08.2009 को जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदन पत्र में कस्बा झुंझुनू की सरहद में जमीन गत खसरा नम्बर 1355 रकबा 12 बीघा 12 बिश्वा, हाल खसरा नम्बर 2282 रकबा 0.01 हैक्टर कुआं, हाल खसरा नम्बर 2283 रकबा 3.07 हैक्टर, हाल खसरा नम्बर 2281/3980 रकबा 0.10 हैक्टर होना स्वीकार है। लेकिन मिसल हकियत सम्वत 1999 में व जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2019 तक में इस जमीन की टीनेन्सी पेमाराम उर्फ प्रेमाराम पुत्र किशनाराम जाति ब्राहम्ण निवासी झुंझुनू के नाम दर्ज है। इससे पूर्व इस जमीन का टीनेन्ट उक्त पेमाराम का पिता किशनाराम था। उक्त किशनाराम के बाद उक्त पेमाराम ने बतौर टीनेन्ट इस जमीन को काश्त किया व लगान अदा किया। उक्त पेमाराम से यह जमीन माफी खालसा होने पर पैमाईस के दौरान भुखण्डो में छोटुदास ने ले ली और छोटुदास के नाम टीनेन्सी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। छोटुदास के मरने के बाद उसके दत्तक पुत्र अनावेदक बनवारीलाल के नाम उत्तराधिकार के जमीन दर्ज हुई। मूर्ति मन्दिर श्री रघुनाथ जी वाके कस्बा झुंझुनू सीतारामदास के स्वामित्व की थी और सीताराम को भी उत्तराधिकार में मिली थी। सीताराम से उसके दत्तक पुत्र छोटुदास को मिली और छोटुदास से उसके दत्तक पुत्र बनवारीलाल को मिली। इस प्रकार उक्त मन्दिर श्री रघुनाथ जी व्यक्तिगत स्वामित्व का मन्दिर रहा है व सार्वजनिक उपयोग का कभी भी नहीं रहा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु हुआ तब व उसके बाद व पहले विवादित जमीन मूर्ति मन्दिर श्री रघुनाथ जी की खुद काश्त में नहीं रही। इस प्रकार विवादित जमीन मिसल हकियत सम्वत 1999 से उक्त पेमाराम की टीनेन्सी व कब्जे की रही व उसके बाद छोटुदास की टीनेन्सी व कब्जे की रही व उसके बाद अनावेदक बनवारीलाल के टीनेन्सी व कब्जे की रही। बनवारीलाल से अनावेदक मंजुर हुसैन ने 1.13 हैक्टर जमीन जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 16.01.2009 को क्रय कर ली। इस बयनामें के अनुसार जमीन खसरा नम्बर 2281/3980 रकबा 0.10 हैक्टर व खसरा नम्बर 2283 रकबा 3.07 हैक्टर में से दक्षिणी रकबा 1.03 हैक्टर का टीनेन्ट अनावेदक नम्बर 2 मंजुर हुसैन है व काबिज है। जमाबन्दी सम्वत् 2012 से 2048 व खतौनी सम्वत 2061 से 2081 व मिसल हकियत सम्वत 1999 के राजस्व रिकार्ड को चुनौती नही दी गई है। प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित छोटूदास के स्वामित्व का उक्त मन्दिर था। ऐसा नहीं है कि उक्त मन्दिर सार्वजनिक उपयोग का हो इस मन्दिर में किसी ने छोटुदास को पुजारी रखा हो। औंकारदास का दत्तक पुत्र लक्ष्मणदास था। लक्ष्मणदास का दत्तक पुत्र सीतारामदास था। सीतारामदास का दत्तक पुत्र छोटुदास था। उक्त वर्णित व्यक्ति साधु प्रवृति के थे व ख्यासी प्राप्त थे। इनको श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। उक्त मन्दिर का निर्माण व्यक्तिगत रूप से करवाया गया था। इस कारण इस मन्दिर के लिये राज.पब्लिक ट्रस्ट अधि. 1959 के प्रावधान लागु नहीं हुये। उक्त छोटुदास का व्यक्तिगत स्वामित्व का उक्त मन्दिर था। राजस्व रिकार्ड में इसी प्रकार स्वामित्व का मन्दिर होना दर्ज किया जाना चाहिऐ था। प्रेमा का नाम मिसल हकियत सम्वत् 1999 में बतौर टीनेन्ट दर्ज है व बतौर टीनेन्ट प्रेमा ने काश्त किया व काबिज रहा व लगान अदा किया। इसी कारण सम्वत् 2019 तक में प्रेमाराम की टीनेन्सी दर्ज है व कब्जा काश्त दर्ज है। विवादित जमीन मूर्ति की खुद काश्त में नहीं रही। तथ्यों को छुपाया गया है। उक्त प्रेमाराम से विवादित जमीन छोटुराम को मिली व छोटुराम से अनावेदक बनवारीलाल को मिली। जमाबन्दी सम्वत 2023 से 2048 व खसरा नम्बर गिरदावरी सम्वत 2023 से 2066 व खतौनी सम्वत 2061 से 2081 व जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2068 तक के करीब 45 साल के राजस्व रिकार्ड में पहले छोटुराम की

14

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

खातेदारी दर्ज है और बाद में अनावेदक बनवारीलाल की खातेदारी दर्ज है। राजस्थान सरकार की ओर से उक्त छोटुदास से व उसके देहान्त होने पर अनावेदक बनवारीलाल से बतौर टीनेन्ट लगान वसुल किया जाता रहा है व राजस्थान सरकार ने इनको टीनेन्ट मानकर लगान वसुल किया व राजस्थान सरकार के पब्लिक आफिसर लेण्ड रिकार्ड आफिसर झुंझुनू ने जमाबन्दीयों को प्रमाणित किया व खसरा गिरदावरियों की जांच की और प्रमाणीकरण में इन्द्राजात सही पाये गये। राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार झुंझुनू व पटवारी हल्का ने छोटुदास व बनावारीलाल से उक्त अनुसार लगान वसुल किया व टीनेन्स मानकर लगान की रसीदें दी गयी व खसरा गिरदावरियों का सत्यापन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में यह अंकित नहीं किया गया कि किस आदेश को खारीज किया जावें। यह भी अंकित नहीं किया गया कि किस आधार पर खातेदार का नाम हटाया जावें। न मूर्ति को पार्टी बनाया गया। इस प्रकार प्रार्थना पत्र अस्पष्ट व आधारहीन होने से खारीज होने योग्य है। यह आवेदन पत्र में दर्ज नहीं किया कि किस न्यायालय या अधिकारी का आदेश या कार्यवाही अवैध है। इस कारण धारा 82 राज.भु.रा. अधिनियम 1956 के प्रावधान लागु नहीं होते है। अतः निवेदन है कि आवेदक का आवेदन पत्र मय खर्चा खारीज किया जावें। शेष रहे अप्रार्थीगण संख्या 1/1 लगायत 1/5 बावजूद तामील के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये उपस्थित नहीं आने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी नम्बर 3 भी न तो स्वयं न ही इनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित आये अतः दिनांक 12.04.2018 को अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध भी एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. बहस सुनी गई। बहस के दौरान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुये निवेदन किया कि कस्बा झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनूं की गत खसरा नम्बर 1355 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 2281/3980 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 2282 रकबा 0.01 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 2283 रकबा 3.07 हैक्टर बने है। सम्वत् 2012 की जमाबन्दी के अनुसार माफी मन्दिर श्री रधुनाथ जी विराजमान वाके देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी। मन्दिर सार्वजनिक था किसी का व्यक्तिगत मन्दिर नहीं था। उक्त आराजी पर पुजारी श्री छोटुदास चेला सीतारामदास सम्वत 2012 में दर्ज रिकार्ड थे। उक्त आराजी पर श्री प्रेमा वल्द किसना कौम ब्राहम्ण सम्वत् 2012 में काश्त 1 साल कृषक के रूप में दर्ज रिकार्ड थे। आराजी खसरा नम्बर 1355 के कृषक छोटुदास की मृत्यु पर सम्वत् 2041 – 44 में उसके वारिसान बनवारीलाल के नाम कृषक के रूप में दर्ज हो गई। उपरोक्त खातेदार में से श्री छोटुदास की मृत्यु पर वारिसान बनवारीलाल के नाम नामान्तरकरण संख्या 1282 से भूमि आई है। उक्त खातेदारों में से श्री बनवारी ने अपने हिस्से की आराजी श्री मंजूर हुसैन पुत्र उस्मान जाति व्यापारी हिस्सा 1.13 हैक्टर व अनिता पत्नी कृष्ण मुरारी हिस्सा 0.38 हैक्टर को बेचान करने पर उक्त केता के नाम सम्वत 2065 – 68 कह जमाबन्दी में नामान्तरकरण संख्या 1204, 1228 से दर्ज हो गई। विरासत एवं बेचान सर्वथा नाबालिग मन्दिर की भूमि का किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के विपरीत होने के कारण नल एण्ड वोईड है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि हाल खातेदार का नाम हटाकर मन्दि मूर्ति के नाम दर्ज करने की आज्ञा प्रदान की जावें।
4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने दौराने बहस नजीरें 2008 आर.एल.डब्लु (1) आर.जे. 230, 1987 आर.आर.डी.(एल.बी.) 261(बी.), 1991 आर.आर.डी(एच.सी.) 6(एफ), 2005 आर.एल.डब्लु आर.जे. (एच.सी.) 507, 2006 आर.एल.डब्लु (1) आर.जे.(एच.सी.) 66, 2006 आर.एल.डब्लु (2) आर.जे. (एच. सी.) 847, 2007 आर.एल.डब्लु (1) आर.जे. (एच.सी.) 381 (बी), 2009 आर.एल.डब्लु (2) आर.जे. (एच.सी.) 969, 2010 आर.आर.टी.(1) 562 (बी) की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हुये जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा कथन किया कि आवेदन पत्र में कस्बा झुंझुनू की सरहद में जमीन गत खसरा नम्बर 1355 रकबा 12 बीघा 12 बिश्वा, हाल खसरा नम्बर 2282 रकबा 0.01 हैक्टर कुआं, हाल खसरा नम्बर 2283 रकबा 3.07 हैक्टर, हाल खसरा नम्बर 2281/3980 रकबा 0.10 हैक्टर होना स्वीकार है। लेकिन मिसल हकियत सम्वत 1999 में व जमाबन्दी सम्वत

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

2012 से 2019 तक में इस जमीन की टीनेन्सी पेमाराम उर्फ प्रेमाराम पुत्र किशनाराम जाति ब्राहम्ण निवासी झुंझुनू के नाम दर्ज है। इससे पूर्व इस जमीन का टीनेन्ट उक्त पेमाराम का पिता किशनाराम था। उक्त किशनाराम के बाद उक्त पेमाराम ने बतौर टीनेन्ट इस जमीन को काश्त किया व लगान अदा किया। उक्त पेमाराम से यह जमीन माफी खालसा होने पर पैमाईस के दौरान भुखण्डो में छोटुदास ने ले ली और छोटुदास के नाम टीनेन्सी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। छोटुदास के मरने के बाद उसके दत्तक पुत्र अनावेदक बनवारीलाल के नाम उत्तराधिकार के जमीन दर्ज हुई। मूर्ति मन्दिर श्री रघुनाथ जी वाके कस्बा झुंझुनू सीतारामदास के स्वामित्व की थी और सीताराम को भी उत्तराधिकार में मिली थी। सीताराम से उसके दत्तक पुत्र छोटुदास को मिली और छोटुदास से उसके दत्तक पुत्र बनवारीलाल को मिली। इस प्रकार उक्त मन्दिर श्री रधुनाथ जी व्यक्तिगत स्वामित्व का मन्दिर रहा है व सार्वजनिक उपयोग का कभी भी नहीं रहा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु हुआ तब व उसके बाद व पहले विवादित जमीन मूर्ति मन्दिर श्री रधुनाथ जी की खुद काश्त में नहीं रही। इस प्रकार विवादित जमीन मिसल हकियत सम्वत 1999 से उक्त षेमाराम की टीनेन्सी व कब्जे की रही व उसके बाद छोटुदास की टीनेन्सी व कब्जे की रही व उसके बाद अनावेदक बनवारीलाल के टीनेन्सी व कब्जे की रही। बनवारीलाल से अनावेदक मंजुर हुसैन ने 1.13 हैक्टर जमीन जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 16.01.2009 को क्रय कर ली। इस बयनामें के अनुसार जमीन खसरा नम्बर 2281/3980 रकबा 0.10 हैक्टर व खसरा नम्बर 2283 रकबा 3.07 हैक्टर में से दक्षिणी रकबा 1.03 हैक्टर का टीनेन्ट अनावेदक नम्बर 2 मंजुर हुसैन है व काबिज है। जमाबन्दी सम्वत् 2012 से 2048 व खतौनी सम्वत 2061 से 2081 व मिसल हकियत सम्वत 1999 के राजस्व रिकार्ड को चुनौती नही दी गई है। प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित छोटूदास के स्वामित्व का उक्त मन्दिर था। ऐसा नहीं है कि उक्त मन्दिर सार्वजनिक उपयोग का हो इस मन्दिर में किसी ने छोटुदास को पुजारी रखा हो। औंकारदास का दत्तक पुत्र लक्ष्मणदास था। लक्ष्मणदास का दत्तक पुत्र सीतारामदास था। सीतारामदास का दत्तक पुत्र छोटुदास था। उक्त वर्णित व्यक्ति साधु प्रवृति के थे व ख्यासी प्राप्त थे। इनको श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। उक्त मन्दिर का निर्माण व्यक्तिगत रूप से करवाया गया था। इस कारण इस मन्दिर के लिये राज.पब्लिक ट्रस्ट अधि. 1959 के प्रावधान लागु नहीं हुये। उक्त छोटुदास का व्यक्तिगत स्वामित्व का उक्त मन्दिर था। राजस्व रिकार्ड में इसी प्रकार स्वामित्व का मन्दिर होना दर्ज किया जाना चाहिऐ था। प्रेमा का नाम मिसल हकियत सम्वत् 1999 में बतौर टीनेन्ट दर्ज है व बतौर टीनेन्ट प्रेमा ने काश्त किया व काबिज रहा व लगान अदा किया। इसी कारण सम्वत् 2019 तक में प्रेमाराम की टीनेन्सी दर्ज है व कब्जा काश्त दर्ज है। विवादित जमीन मूर्ति की खुद काश्त में नहीं रही। तथ्यों को छुपाया गया है। उक्त प्रेमाराम से विवादित जमीन छोटुराम को मिली व छोटुराम से अनावेदक बनवारीलाल को मिली। जमाबन्दी सम्वत 2023 से 2048 व खसरा नम्बर गिरदावरी सम्वत 2023 से 2066 व खतौनी सम्वत 2061 से 2081 व जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2068 तक के करीब 45 साल के राजस्व रिकार्ड में पहले छोटुराम की खातेदारी दर्ज है और बाद में अनावेदक बनवारीलाल की खातेदारी दर्ज है। राजस्थान सरकार की ओर से उक्त छोटुदास से व उसके देहान्त होने पर अनावेदक बनवारीलाल से बतौर टीनेन्ट लगान वसुल किया जाता रहा है व राजस्थान सरकार ने इनको टीनेन्ट मानकर लगान वसुल किया व राजस्थान सरकार के पब्लिक आफिसर लेण्ड रिकार्ड आफिसर झुंझुनू ने जमाबन्दीयों को प्रमाणित किया व खसरा गिरदावरियों की जांच की और प्रमाणीकरण में इन्द्राजात सही पाये गये। राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार झुंझुनू व पटवारी हल्का ने छोटुदास व बनावारीलाल से उक्त अनुसार लगान वसुल किया व टीनेन्स मानकर लगान की रसीदें दी गयी व खसरा गिरदावरियों का सत्यापन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में यह अंकित नहीं किया गया कि किस आदेश को खारीज किया जावें। यह भी अंकित नहीं किया गया कि किस आधार पर खातेदार का नाम हटाया जावें। न मूर्ति को पार्टी बनाया गया। इस प्रकार प्रार्थना पत्र अस्पष्ट व आधारहीन होने से खारीज होने योग्य है।

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

5. हमने बहस राजकीय अभिभाषक पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि सम्वत 1999 व 2012 – 2015 मे प्रश्नगत भूमि की खातेदारी पेमाराम उर्फ प्रेमाराम के नाम थी। प्रश्नगत भूमि सम्वत् 1999 व 2012 – 2015 में अहतमाम पुजारी छोटूराम चेला सीताराम का नाम दर्ज है। प्रेमा की सम्वत 1999 व 2012 – 2015 में काश्त एक साल दर्ज है। मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है जो स्वयं काश्त नहीं कर सकती है। मन्दिर मूर्ति की भूमि को उसका संरक्षक (भूमिधारी तहसीलदार) या अन्य व्यक्ति पुजारी आदि द्वारा की काश्त की जाती है। चुंकि भूमि माफी मन्दिर रघुनाथ जी के नाम सम्वत् 1999 से दर्ज रही है अतः प्रार्थी नम्बर 2 द्वारा प्रेमाराम की खातेदारी बताना रिकार्डेड तथ्यों के अनुसार पूर्णतया गलत है। अप्रार्थी द्वारा जिन नजीरों का अवलम्ब लिया है उनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह नजीरे खुदकाश्त व मियाद के बिन्दु की बाबत है। जहां तक प्रश्न खुदकाश्त का है तो जमाबन्दी सम्वत् 2019 से 2031 में स्पष्टतः उक्त भूमि मंदिर माफी की दर्ज है तथा खुदकाश्त माफीदार दर्ज है। स्पष्टतः भूमि मंदिर की खुदकाश्त में थी। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने के कारण खुद मूर्ति काश्त नहीं करती या करवाती है। वस्तुतः मंदिर की ओर से किसी ही द्वारा ही काश्त करवाई जाती है। रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु नियमों में कोई समयावधि निश्चित् नहीं है अर्थात राज्य सरकार नियमों के विरूद्ध किये गये आदेशों, निर्णय, रिकार्ड आदि की बाबत ध्यान में आने पर किसी भी समय रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर सकती है इस कारण वकील अप्रार्थी नम्बर 2 द्वारा जिन नजीरों का अवलम्ब लिया गया है वह इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

सार्वजनिक मन्दिर की प्रश्नगत भूमि नियम विरूद्ध तरीके से अप्रार्थीगण ने नाम खातेदारी में दर्ज की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर कस्बा झुंझुनू में स्थित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 2281/3980 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 2282 रकबा 0.01 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 2283 रकबा 3.07 हैक्टर की खातेदारी निरस्त करवाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स प्रस्तुत किया जाकर निवेदन है कि भूमि खसरा नम्बर नम्बर 2281/3980 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 2282 रकबा 0.01 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 2283 रकबा 3.07 हैक्टर की अप्रार्थीगण की खातेदारी खारिज फरमाई जाकर मूर्ति मन्दिर के नाम दर्ज करवाने के आदेश फरमायें जावें। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि वह राजकीय अभिभाषक राजस्व मण्डल अजमेर के माध्यम से रेफेरेन्स प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां प्रस्तुत करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के यहां प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार झुंझुनू को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 15.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/6/18

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, झुंझुनू

जिला कलक्टर झुंझुनू